

प्रकरण संख्या 108/2021 वाद  
मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
उपखण्ड अधिकारी निम्वाहेड़ा जिला निम्वाहेड़ा  
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)  
उनवान

1. पन्नालाल पिता नगजीराम जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
2. उंकारलाल पिता नगजीराम जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।

बनाम

-वादी

1. चांदमल पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
2. तेजुवाई पत्नी चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
3. प्रकाश पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
4. भगवतीलाल पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
5. मोहन पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
6. रमेश पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
7. रामनारायण पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेड़ा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा निम्वाहेड़ा तहसील निम्वाहेड़ा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्वाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित :- 1- श्री अमरचंद धाकड़ - अधिवक्ता वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :-27.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्वाहेड़ा वहाजिरी श्री अमरचंद धाकड़ वादीगण अधिवक्ता पेशकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्वाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा भट्टकोटड़ी पटवार हल्का वड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्वाहेड़ा की खाता संख्या 27 की आराजी नंबर 103 रकवा 0.61 हैक्टेयर, आराजी नंबर 88 रकवा 0.91 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कल रकवा 1.52 हैक्टेयर भूमि का वटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.08.2023 की पालना में वटवारा तहसीलदार निम्वाहेड़ा द्वारा दिनांक 22.09.2024 को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

1. श्री उंकारलाल पुत्र नगजीराम 1/2, श्री पन्नालाल पुत्र नगजीराम 1/2 (रहन पूर्ण हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा निम्वाहेड़ा) सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकवा (हैक्टेयर)	लगान
103	0.61	2.14
88(दक्षिण-पश्चिम)	0.51	2.85

कुल कित्ता-2 0.76 4.99

2. श्री चांदमल 8/14, प्रकाश 1/14, भगवतीलाल 1/14, मोहन 1/14, रामनारायण 1/14 पुत्र चुन्नीलाल, मु. तेजुवाई पत्नी चुन्नीलाल 1/14 ब्राह्मण सा.देह खातेदार

आराजी न.	रकवा (हैक्टेयर)	लगान
88	0.76	14.44

कित्ता-1 0.76

14.44



अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्वाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

चीज ..... मुबलिक..... वाबत.....  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.08.2024 को जारी की गई।  
 मुहर



दस्तखत

ओहदा

सहायक फरिक्केन

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....			.....		
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
.....			.....		
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
.....			.....		
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
.....			.....		
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
.....	0	0	.....	0	0
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
.....			.....		
वाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....			.....		
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
.....			.....		
मीजान ....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिक्केन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

